भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 14 BN 565989

0. यह कि न्यास मण्डल द्वारा न्यास के उद्देश्यो की प्राप्ती हेतु व्यक्तियो, वितिय संस्थाओं व बैंको से दान, सहायता,ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित वैज्ञानिक माध्यम से न्यास की आय बढाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध से न्यास की ओर से दस्तावेज निस्पादित करने के लिए मुख्य न्यासी व एक अन्य न्यासी जिये कि मुख्य न्यासी उतिच समझे अधिकुत होगें।

0. यहकि मुख्य न्यासी न्यास की तरफ से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिए भूमि एवं भवन का क्रय एवं विक्रय कर सकेगें या किसी चल या अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेगें। न्या[illegible] सम्पति या सम्पत्तियों को किरायें पर दे सकेगा।या बेच सकेगा।

0. यह कि न्यास की सम्पत्ति को क्षति [illegible] या दुरुपयोग करने वाले को दण्डित करने का बधिकार न्यास मण्डल को प्राप्त होगा। न्यास और उसके अधिन संस्थाओ एवं समितियो के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध मुख्य न्यासी द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील न्यास मण्डल शरा [illegible]नी जायेगी।

0. न्यास द्वारा स्थापित व संचालित किसी भी संस्था व विद्यालय में प्रबन्ध के विवाद [illegible] होने पर उसके सम्बन्ध में न्यास मण्डल का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा। परन्तु यदि किसी [illegible] ऐसा नही हो सका तो विवाद को लम्बी रहने के दौरान सम्बन्धित संस्था या विद्यालय का प्रबन्धन व उसकी सम्पत्ति की व्यवस्था न्यास में निहित रहेगी।

0. न्यास की आय–व्यय व लेखा के परीक्षा हेतु मुख्य न्यासी द्वारा परीक्षा की निखुक्ति की जा सकेगी।

0. न्यास द्वारा या न्यास के विरुद्ध किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन न्यास के नाम से किया जायेगा जिसकी पैरवी न्यास की ओर से मुख्य न्यासी द्वारा अथवा मुख्य न्यासी के अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत न्यासी द्वारा की जायेगी।

0. न्यास के अधिन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारी की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तो एवं सेवा पुस्तिका एवं विवरण भी न्यास मण्डल के अधिन होगा। न्यास मण्डल बहुमत से स्वयं उनके कार्यो को करेगा अथवा किसी व्यक्ति या व्यक्तियो को इस कर्य हेतु नियुक्त करेगा इसके अतिरिक्त न्यास मण्डल अपने सम्पत्तियों के प्रबन्ध एवं प्रतिदिन के कार्यो हेतु वैतनिक कर्मचारियों की भी [illegible]

[illegible]

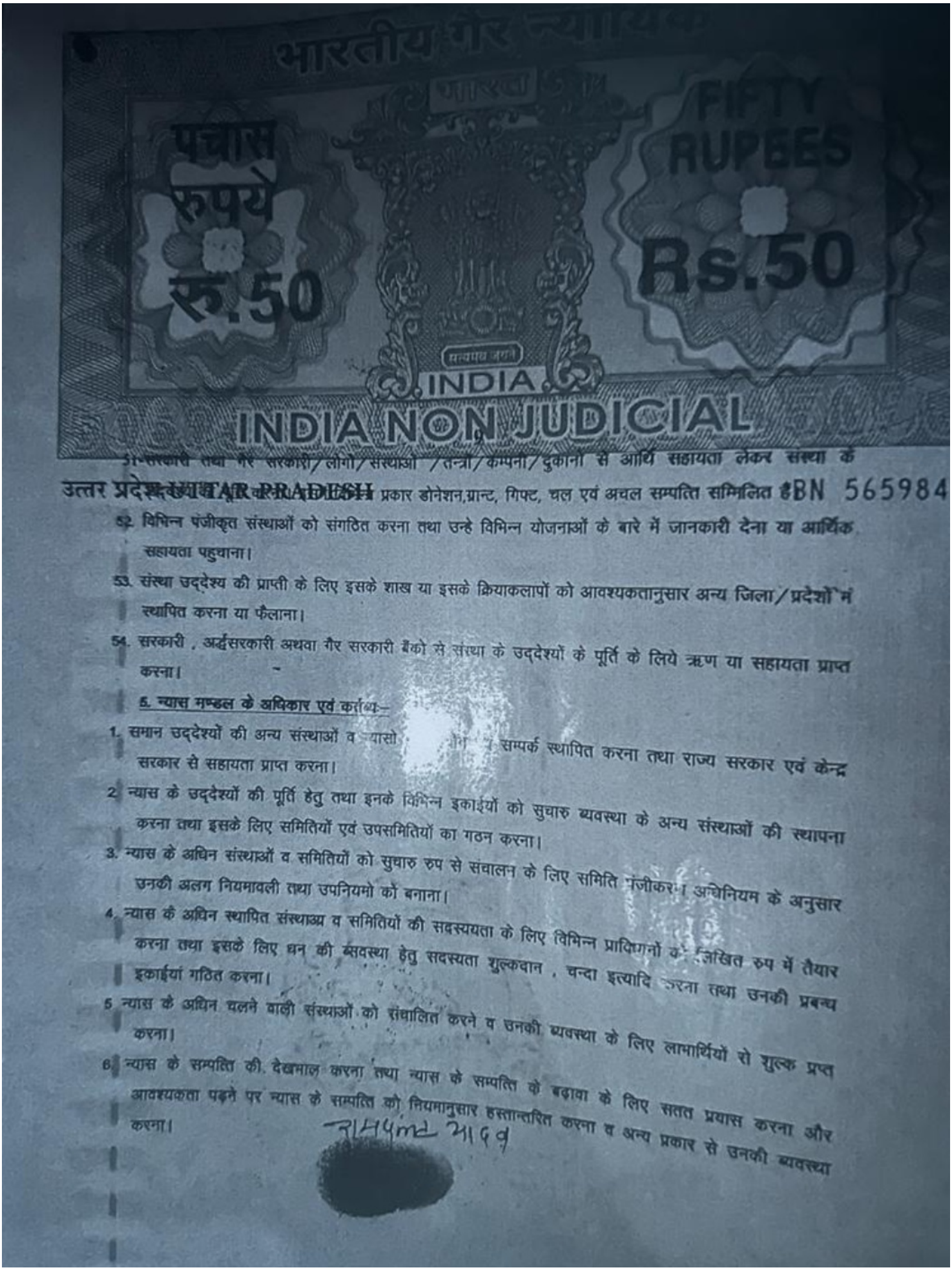

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 565984

51- सरकारी तथा गैर सरकारी/लोगो/संस्थाओं /तन्त्रों/कम्पनी/दुकानों से आर्थि सहायता लेकर संस्था के ... प्रकार डोनेशन,ग्रान्ट, गिफ्ट, चल एवं अचल सम्पत्ति सम्मिलित है।

52. विभिन्न पंजीकृत संस्थाओं को संगठित करना तथा उन्हे विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देना या आर्थिक सहायता पहुचाना।

53. संस्था उद्देश्य की प्राप्ती के लिए इसके शाख या इसके क्रियाकलापों को आवश्यकतानुसार अन्य जिला/प्रदेशों में स्थापित करना या फैलाना।

54. सरकारी , अर्द्धसरकारी अथवा गैर सरकारी बैंको से संस्था के उद्देश्यों के पूर्ति के लिये ऋण या सहायता प्राप्त करना।

5. न्यास मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य:-

1. समान उद्देश्यों की अन्य संस्थाओं व न्यासो ... सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।
2. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इनके विभिन्न इकाईयों को सुचारु व्यवस्था के अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिए समितियों एवं उपसमितियों का गठन करना।
3. न्यास के अधिन संस्थाओं व समितियों को सुचारु रुप से संचालन के लिए समिति पंजीकरण अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उपनियमो को बनाना।
4. न्यास के अधिन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्ययता के लिए विभिन्न प्राविधानों के लिखित रुप में तैयार करना तथा इसके लिए धन की व्यवस्था हेतु सदस्यता शुल्कदान , चन्दा इत्यादि करना तथा उनकी प्रबन्ध इकाईयां गठित करना।
5. न्यास के अधिन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने व उनकी व्यवस्था के लिए लाभार्थियों से शुल्क प्रप्त करना।
6. न्यास के सम्पत्ति की देखभाल करना तथा न्यास के सम्पत्ति को बढ़ावा के लिए सतत प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर न्यास के सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना व अन्य प्रकार से उनकी व्यवस्था करना।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 11 BN 56598

2. मुख्य न्यासी की अनुपस्थिति ,बीमार या कार्य करने की अक्षमता की ब्यवस्था में उपके द्वारा निर्धारित ट्रस्टी मुख्य न्यासी के रुप में कायग्ग करने के लिए अधिकृत होगा।

3. न्यास मण्डल के सदस्यो में से न्यासीगढ को न्यास के सुचारू प्रबन्ध ब्यवस्था के लिए न्यास के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष , कोषाध्यक्ष के रुप में नियुक्ति की जा सकेगी और इस प्रकार नियुक्त किये गयें न्यासियों का कार्याधिकार निश्चित किया जा सकेगा। न्यास के उक्त पदाधिकारियों का निर्वाचन न्यास मण्डल द्वारा अपने से बहुमत के आधार पर किया जायेगा।न्यास के पदाधिकारियों के निर्वाचन में मूलतः आम सहमति के आधार पर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी यदि किन्ही परिस्थितियों में एंसा किया जाना सम्भव नही हो सका तो पदाधिकारी का निर्वाचन मुख्य न्यासी की देख रेख में कराया जार सकेगा।और इस प्रकार [illegible] सम्पन्न किये जाने पर मुख्य न्यासी का निर्णय सभी न्यासियो के मान्य एवं अन्तिम होगा।

4. न्यास मण्डल के किसी भी न्यासी अथवा मुख्य न्यासी के त्याग–पत्र देने अथवा मृत्यु होने पर उनका स्थान रिक्त हो जायेगा लेकिन न्यास मण्डल में इस प्रकार की कोई रिक्त होने पर न्यास मण्डल के पदाधिकारियों के अगले निर्वाचन के पूर्व उसकी पूर्ति सम्बन्धी न्यासी के विधिक उत्तराधिकारियों मे से की जायेगी यदि किसी न्यासी के एक से अधिक उत्तराधिकारी है तो उनमें से योग्य एवं न्यासी के प्रति हितैसी भाव रखने वाले पदाधिकारी को न्यास में उत्तराधिकारी के न्यासी के रुप में सम्मिलित होने से इनकार करने की स्थिति में मृतक न्यासी के वंशावली के दुसरे सदस्य के नाम पर विचार किया जायेगा। परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य न्यासी अन्य न्यासियों के रिक्त स्थान की पुर्ति के सम्बन्ध के उक्त रुप में दिये गयें उपबन्धो के द्वारा न्यास मण्डल के सदस्यों का अपने मृत्यु के उपरान्त लिखित रुप से उत्तराधिकारी न्यासी नियुक्त करने का अधिकार बाधित नही होगा।

5 न्यास मण्डल के किसी सदस्य को उसके द्वारा न्यास के उद्देश्यो के विपरीत कार्य करने की अथवा न्यास के हितो के विपरीत आचरण करने की दशा में न्यास मण्डल द्वारा उन्हे सामान्य बहुमत से न्यास पृथ कर दिया जायेगा। और उनके स्थान पर पूर्व में दियें गये प्राविधानो के अनुसार सुयोग्य एवं न्यास मण्डल के न्यासी के रुप मे संयोजित कर लिया जायेगा।यदि कोई हितैसी ब्यक्ति को न्यासी उक्त प्रकार के न्यास से पुथक नही किया जाता है तो उसे न्यास मण्डल के सदस्य के रुप में अजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

13

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BN 565988

0. न्यास की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा न्यास के आय–व्यय का हसिाब–किताब तथा रिर्पोट न्यास मण्डल के समक्ष रखना ।
0. न्याय के ओर से न्यास की समस्त चल अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण व प्राप्ति से संबंधित विलेखो को हस्ताक्षरित करना
0. न्यास तथा न्यास के विरूद्ध विधिक कार्यवाहियों की न्यास की ओर से पैरवी करना तथा उसके लिए अधिवक्ता व मुखतार नियुक्त करना ।
0. इस न्यास विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारियों का प्रयोग करना तथ न्यास की मुख्य प्रबन्धक के रूप में शेष न्यासियों के सहयोग से न्यास के हित में अन्य समस्त कार्यों को करना ।
0. न्यास के वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना
0. न्यास का आय व्यय का रिर्पोट तथा [illegible] मण्डल द्वारा अधिकृत लेख परीक्षक से न्यास के आय– व्यय का लेखा परीक्षण करना
0. न्यास के वित्त संबंधी लेखों का [illegible] रखरखाव करना

8. **न्यास के कोष की व्यवस्था**

1. न्यास के कोष को सुचारू रूप से रख– रखाव एवं उसकी व्यवस्था हेतु किसी डाकघर या राष्ट्रीय कृत/मान्यता प्राप्त अधिसुचित बैंक मे ट्रस्ट के नाम खाता खोला जायेगा।
2. ट्रस्ट के अर्न्तगत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय,संस्थान केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला या संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं या ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अर्न्तगत खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है।

9. **न्यास के अभिलेख**

न्यास के अभिलेखों को तैयार करने / कराने व रखरखाव का दायित्व मुख्य न्यासी का होगा । मुख्य न्यासी द्वारा प्रमुख रूप से न्यास के लिए सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर व लेखे का रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा ।

10. **न्यास के समपत्ति की व्यवस्था**

न्यास के सम्पत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रूप में की जायेगी।

रामप्रमोद यादव

पचास रुपये रु.50   FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   12   BN 565

6. न्यास द्वारा संचालित महाविद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर के कर्मचारी के प्रतिनिधि विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिए नियमा नुसार सक्षम प्रधिकारी के स्वीकृति या अनुमोदित कराये गयें प्रशासन योजना के अनुसार सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होगे तथा उन्हे नियमानुसार प्राप्त अधिकारों को प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।

7. न्यास मण्डल का कोई भी न्यासी कभी भी व्यक्ति या संस्था से यदि कोई व्यक्तिगत लेन–देन करता है तो न्यास का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नही होगा; बल्कि सम्बन्धित न्यासी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

(ख) <u>न्यास की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशन:–</u>

1. न्यास मण्डल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक [illegible] होगी। उक्त वार्षिक बैठक में न्यास के अधीन संचालित सभी संस्थाओं/समितियों के प्रबन्धक/सचिव [illegible] तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेगें।वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियो को 15 दिन पूर्व मुख्य न्यासी द्वारा दी जायेगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियो का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।वार्षिक बैठक से अनुपस्थित व बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता समझी जायेगी। कोई भी व्यक्ति मुख्य न्यासी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक तक अनुपस्थित हो सकता है।

2. वर्षिक बैठक में न्यास के वर्ष भर के क्रियाकलापों पर विचार होगा और आय–व्यय पर विचार कर न्यास का वजट निर्धारण किया जायेगा।विचारोपरान्त बहुमत से पारित नियम एवं निर्णय पर न्यास मण्डल का फैसला अन्तिम होगा।

7. **<u>मुख्य न्यासी/प्रधान प्रबन्धक के अधिकार एवं कर्तव्य :</u>**

0 इस न्यास के मुख्य प्रबन्धक के रुप में कार्य करने तथा न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं एवं विद्यालयों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रुप में कार्य करना।

0 न्यास से सम्बन्धित प्रत्येक प्रकार की धनराशि को प्राप्त करके उसकी रसीद देना।

0 न्यास की समस्त कार्यवाही लिखना/लिखवाना व अन्य अभिलेखो को तैयार करवाना।

0 न्यास की बैठक को आमन्त्रित करना तथा उसकी सुचना न्यास मण्डल के सदस्यों को देना।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये ₹.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BN 565985

10

7. न्यास के अधिन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति होने तथा किन्ही आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के बावत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण ब्यवथा ट्रस्ट में निहित करना।

8. न्यास के अधिन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रो, चिकित्सालयों, शोधकेन्द्रो, गौशालाओ व अन्य समस्त समितियो के लिए आवश्यक कर्मचारी नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियो के लिए आचरण एवं ब्यवहार नियमावली तैयार करना [illegible] हित में अन्य कार्यो को करना।

9. न्यास के उददेश्य की पूर्ति के लिए [illegible] संचालित संस्थाओ के हित मे ब्यक्तियो, संस्थाओं, सरकारी अर्द्धसरकारी, गैरसरकारी विभागों में दान, [illegible] अनुदान, व अन्य श्रोतो से धन व सम्पत्तियां को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से न्यास के उददेश्यो की पूर्ति के लिए खर्च करना।

10. न्यास के उद्देश्यो के पूर्ति के लिए न्यास मण्डल द्वारा संकल्पित समस्त कार्यो को करना।

11. उत्तर प्रदेश राज्य विश्व विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में दी गयी ब्यवस्था के अनुसार निर्धारित शर्तो को पूर्ण कर स्नातक व परास्नातक स्तर पर शैक्षिक व ब्यावसायिक पाठ्यक्रम का संचालन करना और इस आवश्यकता हेतु स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयो की स्थापना करनां इस प्रकार स्थापित शैक्षिक संस्थाओं को सुचारु प्रबन्ध ब्यवस्था हेतु निर्धारित शर्तो का पालन करते हुए प्रशासन योजना का तैयार कर सक्षम प्राधिकारी /कुलपति से सवीकृति प्राप्त करना।

6. न्यास की प्रबन्ध ब्यवस्था

(क) न्यास का गठन एवं संचालन– न्यास का गठन एवं संचालन निम्नलिखित रुप से किया जायेगा–

1. न्यास के मुख्य न्यासी एवं प्रबन्ध हम मुकिर होगें और न्यास के मुख्य न्यासी को अपने जीवनकाल में अगले मुख्य न्यासी को शामिल करने का अधिकार होगा। यदि किन्ही परिस्थितियों में अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति किये जाने के पूर्व मुख्य न्यासी की मृत्यु हो जाये तो न्यास के शेष न्यासियो को मुख्य न्यासी के विधिक उत्तराधिकारी पत्नी व पुत्रों में योग्य ब्यक्ति को बहुमत के आधार पर न्यास का मुख्य न्यासी चयनित करने का अधिकार होगा। परन्तु मुख न्यासी की नियुक्ति न्यास मण्डल के शेष सदस्यो द्वारा उनकी योग्यता एवं न्यास हित में कार्य करने की क्षमता को देखते हुए की जायेगी।

पचास रुपये रु.50 FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

15

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BN 565990

0. न्यास मण्डल, के लिए वह सभी कार्य करेगा जो न्यास के हितो के लिए अवश्यक हो न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो ।

0. न्यास के प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति न्यास की उद्देश्यों की प्राप्ती एवं पमर्ति के लिए प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में न्यास द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसके बावत भी यह शर्त लागू होगें।

घोषणा पत्र

"बालाजी कालेज " की तरफ से हम रामपलट [illegible] मुख्य न्यासी के रुप में हम घोषित करते है कि उपरोक्त न्यास पत्र लिखकर पढ़ व समझकर [illegible] चित से बिना किसी बाहरी दबाव के सोच समझकर इस न्यास पत्र को निबन्धन हेतु प्र[illegible] । जिससे कि न्यास का विधिवत गठन हो सके ।

हस्ताक्षर साक्षीगण

रामपलट यादव
हस्ताक्षर मुख्य न्यासी

1 राजीव कुमार S/o राजेन्द्र प्रजापति
वार्ड नं० 5 सैदपुर गाजीपुर

2 शैलेश यादव S/o जगबहादुर यादव
ग्राम व पोस्ट – दौलतपुर, प० सैदपुर
जिला – गाजीपुर

(मसविदाकर्ता)
सुरेशराम व० न० सैदपुर

दिनांक

रामपलट यादव